# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, पीठ जोधपुर

**अपील संख्या :– 381/2025**

नरेन्द्र कुमार यादव

**–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय जयपुर,।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला प्रारम्भिक अधिकारी, बीकानेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, सिरोही।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रारम्भिक शिक्षा, सिरोही।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुत करने की दिनांक** : 05.02.2025
**आदेश की दिनांक** : 10.02.2025
**उपस्थिति :–**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री वी.एस.एल. राजपुरोहित, अभिभाषक
**प्रत्यर्थी विभाग की ओर से** : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अभिभाषक

**समक्ष :– लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**
**असलम मेहर, सदस्य**

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–III, लेवल–I के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, आमलखेड़ आंद्रा, तहसील रेवदर जिला सिरोही में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 26.09.2024 (अनुलग्नक–7) के द्वारा अपीलार्थी को राजकीय प्राथमिक विद्यालय, आमला खेड़ा अनादरा, रेवदार जिला सिरोही में समायोजित किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.09.2024 (अनुलग्नक–8) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया है। पिण्डवारा ब्लॉक अपीलार्थी से 70 कि.मी. दूर है। प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा अधिशेष कार्मिकों के संबंध में जारी आदेश दिनांक 06.09.2024 (अनुलग्नक–6) के दिशा–निर्देश के बिन्दु संख्या 15 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अधिशेष कार्मिकों को उसी ब्लॉक में रिक्त पदों पर समायोजित किया जावे। वर्तमान में भी अधिशेष शिक्षकों को उन्हीं के ब्लॉक में समायोजित किया गया है, जबकि अपीलार्थी को पिण्डवाडा ब्लॉक से रेवदार ब्लॉक में 70 कि.मी. दूर विद्यालय आवंटित किया गया है, जो अनुचित एवं विधि–विरूद्ध है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का आगे कथन है कि अपीलार्थी को पूर्व ब्लॉक पिण्डवाड़ा में नोन टी एस पी विद्यालय आवंटित करने के लिए प्रत्यर्थी

विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है (अनुलग्नक–9)। माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 17632/2024 सूर्यपाल सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 23.10.2024 (अनुलग्नक–10) का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान बताया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 26.09.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को ब्लॉक पिण्डवाड़ा में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 09.12.2024 पर दिनांक 06.09.2024 के दिशा–निर्देशों के अनुसार निस्तारण करे।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना की है अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (चमांपदह व्तकमत) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।
5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(असलम मेहर)**
**सदस्य**

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**